

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प राफपुर झरिया)

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुम्झुनू (राज०)  
पीठासीन अधिकारी- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस  
मिसल संख्या:- .....6.16/2021

---आदेश:---

दिनांक 23/12/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत राफपुर झरिया व तहसीलदार बुहाना की अभिशाषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खिल्लो पटवार मण्डल राफपुर झरिया की जमाबन्दी सम्वत् 2025-78 के खाता संख्या 9 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू०अ०) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	खिल्लो	9	<del>अफकीर</del> अफकीर/ अफकीर	अफकीर/ राफपुर झरिया

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 468-469

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)
2. प्रार्थी अफकीर/ राफपुर झरिया को सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना  
जिला-झुम्झुनू (राज०)  
दिनांक :- 23/12/2021

उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
बुहाना जिला-झुम्झुनू (राज०)